बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 372802 पटना, दिनांक- 02.06.2018

ग्रा0वि0- 07(सा0वा0)-01/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी उप विकास आयुक्त,

बिहार ।

विषय:- वर्ष 2018-19 में मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी योजनाओं का लक्ष्य एवं क्रियान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सामाजिक वानिकी कार्य मुज्फ्फरपुर मॉडल के आधार पर विभाग द्वारा निर्गत SoP अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है । सामाजिक वानिकी की सफलता के लिये वृक्षारोपण कार्यों का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन एवं वनपोषकों मजदूरी एवं उपयोग की गयी सामग्री का ससमय भुगतान अतिआवश्यक है । पूर्व के वर्षों में भुगतान की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक- 369241 दिनांक- 15.05.2018 द्वारा मजदूरी एवं सामग्री का ससमय भुगतान हेतु आवश्यक निदेश दिये गये है । वर्ष 2018-19 के लिए विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित नही किये गये है । अधिकांश जिलों द्वारा स्वयं लक्ष्य निर्धारित कर विभाग को संसूचित किये गये है । जिलावार प्राप्त लक्ष्य अनुलग्नक - 1 पर संलग्न किया जा रहा है । कुछ जिलों से अभी भी लक्ष्य प्राप्त नही हुआ है वे अविलम्ब विभाग को इसकी सूचना उपलब्ध करायेगें । सभी जिला प्रखंडवार और पंचायतवार कार्य योजना 08/06/2018 तक उपलब्ध करायेगें ।

2. दिनांक- 17/05/2018 को उप विकास आयुक्त की बैठक में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिये समय सारणी दी गयी थी । जिसे पुन: निम्न तालिका में दिया जा रहा है ।

कार्य विवरण	**पूर्ण करने की समय-सीमा**
• कार्य प्रारंभ का आदेश	25.05.2018
• सर्वे एवं स्थल सफाई, कीटनाशक का क्रय	31.05.2018
• आवश्यकता अनुसार Tree Guard मिट्टी का घड़ा, ट्राली, जैविक खाद्य आदि की व्यवस्था • आवश्यकता अनुसार पौधे की प्रजाति का चुनाव एवं उपलबधता हेतु पौधशाला चिन्हित करने का कार्य	05.06.2018

Dir. cell letter 131

• गड्ढो को मृदा, फार्म यार्ड खाद्य और कीटनाशक के मिश्रण से भरना • वनपोषकों / लाभुकों को प्रशिक्षण	15.06.2018
• पौधे की ढुलाई एवं पौधारोपण कार्य	वर्षा प्रारंभ होने से वृक्षारोपण कार्य करते हुए सभी स्थलों पर 15.08.2018 तक पूर्ण वृक्षारोपण
• Tree Guard लगाना	
• पटवन, कोड़नी एवं निकौनी	
• मृत पौधों का बदलाव	वृक्षारोपण पूर्ण होने से 5 वर्षों तक प्रत्येक माह
• कोड़नी, निकौनी, पटवन प्रत्येक माह	
• खाद्य, कीटनाशक का उपयोग	
• सुरक्षा कार्य	
• उत्तरजीविता गणना	

3. दिनांक- 17/05/2018 को उप विकास आयुक्त की बैठक में जिलों द्वारा निजी भूमी पर वृक्षारोपण कार्य के लिये बांस गैबियन एवं पानी की व्यवस्था के संबंध में प्रावधान करने का अनुरोध किया गया । बांस गैबियन के मूल्य में महगांई के कारण बांस गैबियन की दर बढ़ाने का अनुरोध भी कुछ जिलों द्वारा किया गया है । निजी भूमि के लाभार्थियों के लिए कम भूमि उपलब्ध होने की दशा में 200 पौधें से कम वृक्षारोपण करने के संबंध में भी अनुरोध किया गया है । इस संबंध में ससमय विचारोपरान्त निम्न निदेश दिये जा रहे है ।

4. वर्ष 2018-19 में किये जाने वाले वृक्षारोपण में पूर्व में निर्गत SoP के साथ संलग्न मॉडल प्राक्कलन एवं विभागीय पत्र संख्या 239166 दिनांक 22.03.2015 को पूर्व प्रेषित पत्रांक 271321 दिनांक 10.05.2016 में अंकित निम्न संशोधनों के साथ लागू किया जाए :-

i. सभी वृक्षारोपण कार्य वर्षाकाल में जून से लेकर 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए ।

ii. पौधों की उँचाई कम-से-कम 3 फीट हो और यदि संभव हो तो 4/5 फीट का पौधा प्राप्त करने का प्रयास किया जाए ।

iii. Road Side वृक्षारोपण सड़क के दोनों तरफ किया जायेगा और कम-से-कम दो यूनिट (400 पौधे) कलस्टर के रूप में लिए जायें और पौधों की आपसी दूरी 3 मीटर X 3 मीटर रखी जायेगी ।

iv. नहरतट और नदीतट बांध पर भी कम-से-कम दो यूनिट (400 पौधे) का कलस्टर लिया जाय एवं पौधों की दूरी 3 मीटर X 3 मीटर रहेगी ।

v. अनुमान्य श्रेणी के व्यक्तियों Schedule-1 Para- 4(II) के निजी भूमि पर खण्ड वृक्षारोपण की स्थिति में पौधों की आपसी दूरी 4 मीटर X 4 मीटर और खेत की मेढ़ पर वृक्षारोपण में

पौधों की आपसी दूरी 3 मीटर X 3 मीटर की दूरी रखी जायेगी । निजी भूमि पर वृक्षारोपण में यदि एक व्यक्ति के पास वृक्षारोपण की इकाई (200 पौधों) हेतु प्रर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं होने पर 2 अथवा तीन परिवारों की भूमि के कलस्टर में भी एक इकाई (200 पौधें) लगाये जा सकते हैं । निजी भूमि पर केवल फलदार पौधें भी लगाये जा सकते है जिसके लिए गड्डे का साईज 60X60X60 cm (100 गढ्डा दर 7 मानव दिवस) एवं फलदार कलमी/बीजू पौधों की दर 35 रू0 पूर्ववत् रहेगी ।

vi. **बांस गैबियन-** सभी प्रकार के वृक्षारोपण (निजी भूमि सहित) बॉस गेबियन अनुमान्य होगा । बांस गैबियन पर अधिकतम 400.00 रूपये की दर से व्यय अनुमान्य होगा और इसका साईज न्यूनतम 2 मीटर X 2 मीटर X 4 मीटर (Above Ground) होना आवश्यक है ।

vii. **घड़े का प्रावधान-** निजी भूमि / सरकारी भूमि / सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण की स्थिति में आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जा सकता है ।

viii. **ट्रॉली / चापाकल-** सरकारी / निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु चापाकल अथवा ट्रॉली सह पानी टंकी में से किसी एक साधन का विकल्प रहेगा । सरकारी अथवा सामुदायिक भूमि पर 2 इकाईयों पर एक चापाकल अथवा एक ट्रॉली सह पानी की टंकी का प्रावधान रहेगा । निजी भूमि के मामले में यदि कलस्टर में (दो सौ मीटर की दूरी के अंदर) दो इकाईयों उपलब्ध नहीं हो तो वैसी परस्थिति में एक इकाई पर भी चापाकल अथवा ट्रॉली सह पानी टंकी का प्रावधान किया जा सकता है । इनके लिए दर पूर्ववत् रहेगी ।

ix. वर्तमान में उत्तर बिहार में 90% पौधा से अधिक उत्तरजीविता होने पर 7 रू0 प्रति पौधा प्रति माह, 75 से 89% पौधा उत्तरजीवित रहने पर 3.50 प्रति पौधा प्रति माह की दर से वन पोषक को मजदूरी दिया जाता है । 75% से कम उत्तरजीविता होने की स्थिति में कोई भुगतान नहीं किया जाता है । दक्षिण बिहार में 75% पौधा से अधिक उत्तरजीविता होने पर 7 रू0 प्रति पौधा प्रति माह, 65 से 74% पौधा उत्तरजीवित रहने पर 3.50 प्रति पौधा प्रति माह की दर से वन पोषक को मजदूरी दिया जाता है । 65% से कम उत्तरजीविता होने की स्थिति में कोई भुगतान नहीं किया जाता है । 200 पौधों की इकाई के लिए 7 रू की दर से 1400 रूपयें एवं 3.5 रू की दर से 700 रूपये होते हैं जो वर्तमान मजदूरी दर 177/- अनुसार क्रमश: 7.91 एवं 3.95 मानव दिवस के समतुल्य होते हैं अर्थात मानव दिवस fraction में आते हैं ।

इस समस्या के निदान हेतु 1400 रू0 के स्थान पर 1416 रूपये (8 मानव दिवस) एवं 700 रूपये के स्थान पर 708 (4 मानव दिवस) अनुमान्य होगें ।

x. सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण पर एक इकाई पर दो पशुरक्षक अनुमान्य होगें एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण की एक इकाई पर एक वन पोषक अनुमान्य होगें । निजी भूमि पर 2 या 3 लाभार्थियों की भूमि पर वृक्षारोपण होने पर पौधों की संख्या के अनुपात में वन पोषक की राशि अनुमान्य होगी ।

xi. गड्ढ़ों की खुदाई की राशि भी रूपये में अंकित रहे के कारण मानव दिवस की संख्या fraction में आने की स्थिति को दूर करने के लिए इसमें निम्न बदलाव अनुसार प्राक्कलन में प्रावधान किया जाय :-

- 60cmX60cmX60cm सहित के 200 गड्ढ़ों के लिए 7 मानव दिवस अथवा 1239 रूपये ।
- 30cmX30cmX30cm साईज के 200 गड्ढ़ों के लिए 1 मानव दिवस अथवा 177 रूपये

xii. फैसिलिटेटर के माध्यम से कार्य करवाये जाने के संबंध में उप विकास आयुक्त निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

5. सामाजिक वानिकी कार्यान्वयन के संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक 222119 दिनांक 25.02.2015, पत्रांक 239166 दिनांक 22.07.2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का उपरोक्त संशोधन के साथ अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए ।

6. वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण कार्यो की तैयारी एवं कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण के लिए प्रपत्र -A,B,C/2018-19 संलग्न किया जा रहा है । अपने स्तर से मासिक बैठक में प्रगति की समीक्षा उपरांत प्रखंडवार सूचनाऐं प्रत्येक माह की 08 तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायी जाए ।

अत: उपरोक्त अनुसार सामाजिक वानिकी की प्रखण्डवार और पंचायतवार कार्ययोजना वर्ष 2018-19 दिनांक 08.06.2018 तक उपलब्ध करा दी जाए एवं वृक्षारोपण संबंधित कार्यो का तय समय सीमा के अनुसार सम्पादन कराना सुनिश्चित किया जाए । सभी वृक्षारोपण कार्य 15.08.2018 तक पूर्ण कर ली जाए । मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह को 08 तारीख को विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

<u>अनु0- यथोक्त ।</u>

विश्वासभाजन,

.../6/18

अरविन्द कुमार चौधरी

सचिव

Dir. cell letter 131

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT BIHAR				
Target of Plantation				
FY 2018-19				
S.No	District	Road Side	Canal Side	Individual
1	2	3	4	5
1	ARWAL	60	41	50
2	AURANAGABAD	167	169	203
3	BANKA	82	21	88
4	BEGUSARAI	450	50	1000
5	BHAGALPUR	250	78	814
6	BHOJPUR	72	47	306
7	BUXAR	68	15	96
8	DARBHANGA	220	58	357
9	GAYA	664	1660	996
10	GOPALGANJ	654	138	318
11	JEHANABAD	150	25	125
12	KAIMUR (BHABUA)	350	50	80
13	KATIHAR	337	126	679
14	KHAGARIA	104	2	294
15	KISHANGANJ	238	45	396
16	LAKHISARAI	0	0	40
17	MADHEPURA	340	340	850
18	MADHUBANI	99	21	800
19	MUNGER	101	25	50
20	MUZAFFARPUR	504	350	847
21	PASHCHIM CHAMPARAN	210	141	257
22	PATNA	0	0	0
23	PURNIA	302	130	954
24	ROHTAS	650	600	60
25	SAHARSA	95	24	149
26	SAMASTIPUR	3031	308	1836
27	SARAN	20	0	20
28	Sheikhpura	124	35	50
29	SIWAN	131	76	346
30	SUPAUL	157	20	792
31	VAISHALI	53	18	181
Total		9683	4613	13034
Other Districts are requested to submit their targets				

सामाजिक वानिकी मानक प्राक्कलन (1 इकाई = 200 पौधे)

जिला .... प्रखंड .... ग्राम पंचायत ....

.... (स्थान) से .... (स्थान) तक पौधारोपण ....

क्रम सं0	कार्य का विवरण	वांछित मात्रा	दर (रूपये में)	कुल राशि (रूपयें में)
1	2	3	4	5
(क)	मजदूरी मद			
1	200 पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु (2 वनपोषक)	भुगतान जीवित पौधें के प्रतिशत के आधार पर प्रति माह 200 पौधों के लिए, 5 वर्षो तक = (200X12X5)	8 मानव दिवस प्रति माह प्रति वनपोषक	169920=00
2	सर्वे, गड्ढो का aligment एवं 200 गड्ढा खोदने हेतु	बड़े फल वृक्ष 60X60X60 cm = 100 गड्ढा	7 मानव दिवस	1239=00
		छोटे वृक्ष 30X30X30 cm = 100 गड्ढा	1 मानव दिवस	177=00
			मजदूरी मद की राशि	171336=00
(ख)	सामग्री मद			
3	200 पौधा खरीद करने हेतु खर्च	सिर्फ कलमी एवं बीजू बड़े फल वृक्ष - 100 पौधें	@ 35	3500=00
		छोटे फल, बांस एवं लकड़ी वृक्ष - 100 पौधें	@ 15	1500=00
4	वांछित चापाकल लगाने हेतु	चापाकल 1		10600=00
5	खाद्य एवं किटनाशक मात्र 200 पौधा के लिए औसत दर (दिसम्बर-जनवरी छोड़कर)	वर्ष 1 में - 15 दिन के अंतराल पर	200X20X0.9	3600=00
		वर्ष 2 में - 30 दिन के अंतराल पर	200X10X0.9	1800=00
		वर्ष 3 में - 30 दिन के अंतराल पर	200X10X0.9	1800=00
		वर्ष 4 में - 30 दिन के अंतराल पर	200X10X0.9	1800=00
		वर्ष 5 में - 30 दिन के अंतराल पर	200X10X0.9	1800=00
6	पानी ढ़ोने हेतु ट्रॉली का दर	1 ट्रॉली	5000	5000=00
7	मिट्टी के घड़े का दर	1 घड़ा प्रति पौधा	200X50	10000=00
8	200 पौधों में गैवियन के लिए (मरम्मती सहित)	400 रूपये प्रति गैवियन (2 फीट X2 फीट X4 फीट जमीन के उपर)	200X400	80000=00
			सामग्री मद की राशि	**121400=00**
			कुल प्राक्कलित राशि	**292736=00**
9	योजना का आकस्मिक मद		**2%**	5855=00
			कुल	**298591=00**

नोटः- (I) आकस्मिकता व्यय की राशि को अवश्यकता अनुसार मृत पौधों के बदलाव में भी उपयोग किया जा सकता है ।

(II) चापाकल अथवा पानी ढ़ोने में से किसी एक विकल्प लिया जाना है ।